

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12636 / 2028

दिनांक :- 19.06.19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री शालिनी मीणा [लिंक न. 12636] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (एक्स काडर), जयपुर - [1000353] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।
दिनांक 14/05/2019 से 17/05/2019 तक 4 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

कुल 4 दिवस

उक्त कुल 4 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री शालिनी मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12636 / 2028

दिनांक :- 19.06.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (एक्स काडर), जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री शालिनी मीणा [12636] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (एक्स काडर), जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)